

# जनजाति विद्यार्थी का पुस्तकालय के प्रति विमुखता : कारण व समाधान

डॉ. आर.के. कुशवाहा

पुस्तकालयध्यक्ष

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)

## प्रस्तावना-

मध्यप्रदेश सघन वन क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है। इसमें 77700 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है। जनजातियों की विशेषताओं के अंतर्गत हम यह समझ सकते हैं कि जनजाति जंगलों में अथवा आस-पास के क्षेत्रों में निवास करती है। मध्यप्रदेश की जनजातीय जनगणना से स्पष्ट होता है कि यहाँ की 75 प्रतिशत जनजातीय आबादी जंगल में अथवा जंगलों के आस-पास निवास करती है। मध्यप्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। जनगणना 2011 आँकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश की जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का 14.7 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में जनजातियों के कुल परिवार 3198352 है। जबकि महिलाओं की संख्या 7597380 है। लिंगानुपात 984 है, एवं बाल लिंग अनुपात 952 है। मध्यप्रदेश की जनजातियों में साक्षरता दर 50.6 प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता 59.6 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 41.5 प्रतिशत है।

जनजातीय विकास से अभिप्राय जनजातीय आबादी की कमजोर प्रस्तुति को सुधारते हुए उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना है। सामाजिक, आर्थिक विकास के सूचक (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर) जो निर्धारित किये गए हैं। उनमें अनुसूचित जनजातियों की लोगों की स्थिति अन्य समूहों की तुलना में कमजोर है। अतः विकास का अभिप्राय इन समुदायों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाकर इनकी कमजोर स्थिति को ऊपर उठाना है एवं विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32 प्रतिशत थी। यह दर राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत से कम है। पुरुषों की साक्षरता दर 78.73 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 59.24 प्रतिशत है।

अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विकास का आधार क्या इसे जानने के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि अथवा ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामने है, जैसे-

1. **पृथक्करण (Isolation)**- पृथक्करण की नीति के पीछे दोहरे तर्क थे। एक तो यह कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट जीवन-शैली एवं पृथक संस्कृति है। अतः अलग रखकर उनकी अस्मिता को सुरक्षित रखा जा सकता है।
2. **सात्मीकरण (Assimilation)**-सात्मीकरण की नीति से सहमत विद्वानों में डॉ. जी.एस.घुरिए प्रमुख थे। उनका मानना था कि अधिकांश जनजातीय समूह हिंदू संस्कृति के संपर्क में आ चुके हैं। कुछ जनजाति समूह ही पृथक हैं जनजातीय समुदायों को उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा। जनजातीय समुदायों में जहाँ एक ओर विभेदीकरण की प्रक्रिया ने जन्म लिया वहीं दूसरी ओर बाहरी संपर्क के बढ़ते प्रयासों ने आदिवासियों के शोषण को बढ़ा दिया। राजनीतिक पार्टी, साहूकार, जमींदार, बिचौलिए इनका शोषण करने लगे।



3. **एकीकरण (Intrigation)**— स्वतंत्रता के पश्चात् जनजाति विकास का एक तीसरा दृष्टिकोण सामने आया वह है एकीकरण। एकीकरण का उद्देश्य जनजाति के लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसमें समन्वय की नीति को केन्द्र में रखा गया। इसका तात्पर्य यह है कि एकीकरण अंगों की एकता नहीं है बल्कि एकीकरण में संरचना के अंग अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं और संगठित होकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनजातीय विकास के संबंध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लिखा था— हम जनजाति क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के मामलों को बहुत देर तक नहीं टाल सकते या उनमें कोई रुचि न ले ऐसा संभव नहीं है। आज के विश्व में यह अपेक्षित भी नहीं है इसके साथ ही हमें इन क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा प्रशासन व्यवस्था से भी बचना चाहिए विशेषतः जनजातीय क्षेत्र में हमें बहुत अधिक बाहरी लोगों को नहीं भेजना चाहिए। हमें इन दो समूहों के बीच की स्थिति में कार्य करना है। जनजातिय क्षेत्रों में कई तरह के विकास की आवश्यकता है। जैसे—उन क्षेत्रों में संचार, चिकित्सा सुविधाएँ, शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्त और अच्छी जीवन शैली, बेहतर कृषि की व्यवस्था की आवश्यकता है।

उक्त विचारों के आधार पर एकीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए निम्नलिखित विंदुओं को योजना प्रारूप में शामिल किया गया—

- जनजाति क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया में जनजातीय परंपराओं के पालन में व्यवधान पैदा न किए जाएँ।
- जनजाति क्षेत्रों को सहायता दी जाए, किन्तु बाहर के लोगों का ज्यादा दखल न किया जाएँ।
- विकास के नाम पर जनजातियों पर विशेष सुधार की नीति लागू की जाए।
- अनुसूची बनाकर अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाए।
- जनजाति विकास के बजट पर शासन निगरानी को सख्त करें।

इसका अभिप्राय यह नहीं कि बजट में जो पैसा खर्च हुआ है। महज इसका हिसाब रखा जाए बल्कि इसका आशय

यह है कि जनजातीय विकास में किए गये खर्च के आधार पर जनजातियों में कितना गुणात्मक परिवर्तन आया।

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों में जनजातियों के हितों को ध्यान में रखा गया है एवं अनेक तरह के विकास और कल्याणकारी कार्य शामिल किए गये हैं। जिनमें सरकारी सहायता अनुदान, सरकारी नौकरियों में आरक्षण उचित शिक्षा व्यवस्था, छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति, आर्थिक उन्नति हेतु प्रोत्साहन, कैरियर मार्गदर्शन, अनाज बैंकों की सुविधा सांस्कृतिक सुरक्षा इत्यादि मुहैया कराए गए हैं। केन्द्र और राज्य स्तर पर जनजातियों के कल्याण के लिए अलग-अलग विभागों की भी स्थापना की गई है।

- ❖ शासन द्वारा संचालित कल्याण कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन
- ❖ सर्व शिक्षा अभियान
- ❖ प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
- ❖ एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल
- ❖ कस्तूरबा गाँधी विद्यालय आवासीय योजना
- ❖ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चशिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (उच्चतम श्रेणी)
- ❖ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चशिक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ैलोशिप योजना
- ❖ राष्ट्रीय विदेशी योजना



- ❖ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु योजना
- ❖ अनुसूचित जनजातियों के परीक्षार्थियों के लिए कॉचिंग

बच्चों और किशोरों के लिये राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की पहल केन्द्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने की है। ई-पुस्तकालय का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक भाषाओं शैलियों और शैक्षिक स्तरों पर बच्चों और किशोरों को उच्च गुणवत्ता वाली गैर शैक्षणिक पुस्तकों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करना है।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का यह एप्लीकेशन, एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय एप्लीकेशन प्रत्येक आयु समूह (3-8, 8-11, 11-14 और 14-18) में उपलब्ध हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कहानियाँ, जीवनियाँ, क्लासिक वैज्ञानिक कहानियाँ और उपन्यास आदि के साथ वर्गीकृत हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसमें डिजिटल रीडर्स क्लब, इन्टरेक्टिव सेशन और मॉनीट्रिंग्स रीडर्स का प्रावधान है। इस एप पर एक हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक ई-पुस्तकें नए शीर्षकों के साथ नियमित रूप से जोड़ी जा रही हैं। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय 22 भाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की सामग्री की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल के लाइब्रेरियन को राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय एप का उपयोग करने के लिये छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ बैंगलेस डे मनाया जाये।

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री लैपटॉप योजना                            |
| लाभार्थी     | मध्य प्रदेश के विद्यार्थी                                |
| लाभ          | लैपटॉप मिलेगा।                                           |
| पात्रता      | 12 वीं कक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक मार्क्स प्राप्त |

मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च 2023 को जब अपना बजट पेश किया था, यह एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यह पहल बालिकाओं के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी गई है।

#### **पुस्तकालय हास के कारण:-**

पुस्तकालय संसाधनों में जैसे पुस्तक और भवन की गुणवत्ता में कमी, पठन-पाठन तंत्र का विनाश, समय का विनाश, कर्मचारियों/अधिकारियों का विलुप्त होना और योजना के माध्यम से ई-ग्रंथालय की गिरावट है। इसे पुस्तकालय में किसी भी परिवर्तन या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हानिकारक या अवांछनीय माना जाता है। पठन-पाठन में गिरावट की प्रक्रिया महाविद्यालयीन मुद्दों के प्रभाव को बढ़ाती है जो पुस्तकालय पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। शिक्षा का द्यस राष्ट्र के खतरों, चुनौतियों और परिवर्तन पर उच्च स्तरीय पैनल द्वारा आधिकारिक तौर पर चेतावनी दिए गए उन खतरों में से एक है। आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति शिक्षा क्षरण को सामाजिक और पठन-पाठन उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय की क्षमता में कमी के रूप में परिभाषित करती है। उच्च शिक्षा में पुस्तकालय द्यस कई प्रकार से होता है। जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं या प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो पुस्तकालय का द्यस होता है; प्रत्यक्ष महाविद्यालयीन द्यस, जैसे- परीक्षा परिणाम, जो आसानी से दिखाई देता है; यह अधिक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के कारण हो सकता है, जैसे-समय के साथ ई-ग्रंथालय का निर्माण या आन-लाइन पुस्तकालय का निर्माण जो आदान-प्रदान प्रणाली में बार कौडिंग का कारण बनता है। इस समस्या का मुकाबला करने के प्रयासों में शिक्षा संरक्षण और पुस्तकालय संसाधन प्रबंधन शामिल



हैं। कुप्रबंधन जो इस की ओर ले जाता है, वह पुस्तकालय की सेवा संघर्ष को भी जन्म दे सकता है जहाँ समुदाय शिक्षा का कुप्रबंधन करने वाली ताकतों के विरोध में संगठित होते हैं।

#### **उच्च शिक्षा में पुस्तकालय द्वारा के कारण:-**

पुस्तकालय क्षरण पाठक, पुस्तक और भवन जैसे संसाधनों की कमी, पठन-पाठन तंत्र के विनाश और छात्र/छात्राओं के विलुप्त होने के कारण पुस्तकालय की गिरावट है। इसे पुस्तकालय में किसी भी परिवर्तन या गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे हानिकारक या अवांछनीय माना जाता है। दूसरे शब्दों में, इस घटना को उपलब्ध संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप अध्ययन के प्राकृतिक परिवेश के बिगड़ने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुस्तकालय क्षरण के कई रूप हैं। जब पुस्तक नष्ट हो जाते हैं, पुस्तक खो जाती है, या जब पाठक का संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो पुस्तकालय को नुकसान होता है। यह प्रक्रिया मूल रूप से पूरी तरह से प्राकृतिक हो सकती है या मानवीय गतिविधियों के कारण त्वरित या उत्पन्न हो सकती है। पाठक का न्यूनीकरण के लिए राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पुस्तकालय गिरावट को "सामाजिक और पठन-पाठक उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय की क्षमता में कमी" के रूप में परिभाषित करती है। संभावित प्रभाव विविध हैं, जो प्राकृतिक खतरों की भेद्यता, आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। इस तरह के प्रभावों के कुछ उदाहरण हैं पाठक का क्षरण, पुस्तक की गुमना, समय का अभाव, दीमक का प्रकोप, चूहे से नुकसान, ई-पुस्तक, संचार की कमी और अशान्ति वातावरण, जलवायु परिवर्तन, पाठ्यक्रम के स्तर में वृद्धि और लेखक का रिक्तीकरण। पूरी दुनिया में पुस्तकालय का क्षरण सदियों से होता आ रहा है। हालाँकि, समस्या यह है कि यह अब बहुत तेज गति से हो रहा है, पुस्तकालय को ठीक होने और पुनः स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रहा है। लगातार बढ़ती छात्र/छात्राओं द्वारा पुस्तकालय पर अधिक से अधिक मांगें पाठक के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही हैं।

**पुस्तकालय क्षरण :-**आर्थिक, सामाजिक संस्थागत और तकनीकी गतिविधियों के गतिशील परस्पर क्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पुस्तकालय के स्वरूप का परिवर्तन आर्थिक विकास, पाठक वृद्धि, शहरीकरण, पाठ्यक्रम की गहनता, पुस्तक के बढ़ते उपयोग और पाठक सहित कई कारकों से प्रेरित हो सकते हैं। शासन की संचालित योजनाओं का दोहन इस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है। बड़े पैमाने पर शोषण ने दुनिया भर में शासन की संचालित योजनाओं के भंडार को समाप्त कर दिया है, जिससे हमें पुस्तक का एक वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अन्य मानवीय गतिविधियाँ जो पुस्तक क्षरण में योगदान दे रही हैं, उनमें ग्रामीण में अधिक जनसंख्या, समय का अभाव, पुस्तकालय, पाठक आदि शामिल हैं।

**सामाजिक कारक-**जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों में गिरावट का एक प्रमुख स्रोत है। जब यह समर्थन प्रणालियों और संसाधनों की सीमा से अधिक हो जाती है। पाठक मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और छात्र का परिणाम के उत्पादन के माध्यम से पुस्तकालय को प्रभावित करती है और पुस्तकालय तनावों से जुड़ी होती है जैसे कि ई-लाइब्रेरी की हानि, कक्षा और ध्वनि प्रदूषण, और साहित्य पर बढ़ता दबाव।

गरीबी को पुस्तकालय क्षरण का कारण और प्रभाव दोनों कहा जाता है। गरीबी और पुस्तकालय के बीच की वृत्ताकार कड़ी एक अत्यंत जटिल परिघटना है। असमानता अस्थिरता को बढ़ावा दे सकती है क्योंकि गरीब, जो अमीरों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक भरोसा करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को तेजी से समाप्त करते हैं क्योंकि वे अन्य प्रकार के संसाधनों तक शायद ही पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, निम्नीकृत पुस्तकालय फिर से दरिद्रता की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, क्योंकि गरीब सीधे महाविद्यालय की संपत्ति पर निर्भर करते हैं। गांवों में लाभकारी रोजगार के अवसरों की कमी और ग्रामीण छात्रों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण इन छात्र-छात्राओं का रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन लगातार बढ़ रहा है।



इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप शहरी मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है। शहरों के इस तरह के तेजी से और अनियोजित विस्तार के परिणामस्वरूप ग्रामीण पुस्तकालय का ह्रास हुआ है। इसने कक्षा, आवास, परिवहन, संचार, शिक्षा, जल आपूर्ति, सीवरेंज, और मनोरंजक सुविधाओं जैसी ढांचागत सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को चौड़ा किया है। इस प्रकार ग्रामीण के बहुमूल्य पुस्तकालय संसाधन आधार को कम किया है।

**आर्थिक कारक**—आर्थिक विकास का स्तर और प्रतिरूप भी पुस्तकालय समस्याओं की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। भारत के विकास उद्देश्यों ने आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। अधिकांश संस्थान द्वारा अपनाई गई विनिर्माण प्रौद्योगिकियों ने पुस्तकालय पर भारी भार डाला है, खासकर पाठ्यक्रम और कक्षाओं के गहन उपयोग के कारण। यह पाठ्यक्रम संसाधनों की कमी (साहित्य लेखन, प्रकाशन, लेखक आदि); मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग और महाविद्यालय पुस्तकालय तंत्र का क्षरण में स्पष्ट है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मुख्य स्रोत के रूप में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का पुस्तकालय के उच्च अनुपात और प्रमुख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (महाविद्यालय एवं विद्यालय) की बढ़ती संख्या के साथ, पुस्तकालय स्रोतों ने पाठ्यक्रम में अपेक्षाकृत उच्च हिस्सेदारी का योगदान दिया है। पुस्तकालय के विस्तार के कारण बड़ी मात्रा में विषय और खतरनाक पाठ्यक्रम ने अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को गंभीर पुस्तकालय अधिग्रहण के साथ बढ़ा दिया है। योजना गतिविधियों का पुस्तकालय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, कक्षाओं से शोर, और नेटवर्क का रिसाव। नेटवर्क और सेवाओं के मामले में भारत में परिवहन बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार हुआ है। इस प्रकार, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा जैसे शहरों में पुस्तकालय भार का एक बड़ा हिस्सा ई—पुस्तकालय का है। साफ्टवेयर और ग्रंथालय परियोजनाएं मुख्य रूप से संवेदनशील महाविद्यालयीन तंत्र को प्रभावित करती हैं। उनका निर्माण पुस्तकालय विज्ञान, सूचना की गुणवत्ता, आवक—जावक, वर्गीकरण और कैटलॉगिंग को अलग—अलग रूप में प्रभावित करता है। ई—पुस्तकालय पर महाविद्यालय विकास का सीधा प्रभाव पुस्तकालय गतिविधियों से उत्पन्न होता है, जो छात्र के पुस्तकालय से कटाव, छात्र की पुस्तक के लगाव और पाठ्यक्रम की हानि में योगदान देता है। ई—पुस्तकालय क्रांति के प्रसार के साथ—साथ गुणवत्ता और पाठ्यक्रम संसाधनों का अत्यधिक दोहन और योजनाओं और ई—पुस्तकालय के उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है। स्टेशनरी योजना भी पुस्तकालय क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। पाठ्यक्रम और पुस्तकों के व्यापक उपयोग से पुस्तकालय भवन से निकायों के उपयोग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। छात्र उपस्थिति और पुस्तक क्षरण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र द्वारा पुस्तकालय में योगदान करते हैं।

**संस्थागत कारक**—पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के रक्षण, संरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है।

प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और व्यापक डेटाबेस कई परियोजनाओं में देरी करते हैं। राज्य सरकार के अधिकांश संस्थान अपेक्षाकृत छोटे हैं और तकनीकी कर्मचारियों और संसाधनों की अपर्याप्तता से पीड़ित हैं। ई—पुस्तकालय प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययनों की समग्र गुणवत्ता और पुस्तकालय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। हालांकि, ई—पुस्तकालय संरक्षण और सतत विकास के लिए ई—पुस्तकालय का प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख पेशेवरों के प्रशिक्षण और उचित तकनीकी व्यक्तियों के साथ स्टाफिंग जैसे संस्थागत सुदृढीकरण उपायों की आवश्यकता है।



**पुस्तकालय द्वारा के संभावित समाधान:-**

पुस्तकालय के संभावित समाधान निम्न हैं।

❖ **टिकाऊ पाठ्यक्रम**

पाठ्यक्रम को कम करने के लिए टिकाऊ पाठ्यक्रम पद्धतियों को लागू करें। हानिकारक पाठ्यक्रम के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए नए पाठ्यक्रम पद्धतियों को प्रोत्साहित करें।

❖ **उचित प्रबंधन:-** उचित पाठ्यक्रम अपशिष्ट निपटान और पुर्नचक्रण कार्यक्रमों को बढ़ावा दें।

अवैध डंपिंग पुस्तकों को हतोत्साहित करें और उचित कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करें।

❖ **संरक्षण प्रयास:-** महाविद्यालय तंत्र की रक्षा और पुस्तकें के विनाश को रोकने के लिए सख्त नियम स्थापित करें और लागू करें। संकटग्रस्त हस्तलिखित पुस्तक, दुर्लभ और उनके साहित्यों के लिए संरक्षण कार्यक्रम लागू करना।

❖ **नियमों में लचीलापन करना:-**

- शासकीय महाविद्यालयों में गतिविधियों और पाठको से होने वाले योजनाओं को नियंत्रित करने के उपायों को लागू करें।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पुस्तक नियमावली पर कड़े नियम लागू करें तथा पुस्तक निकायों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

❖ **नवीकरणीय पुस्तकें**

- नये पाठ्यक्रम पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय लेखकों व पुस्तक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- स्वच्छ ई-साहित्य, प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करें।

❖ **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा:**

- शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से पुस्तकालय क्षरण के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ।
- व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय) के बीच जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करें।

❖ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**

- वैश्विक पुस्तकालय मुद्दों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- सतत विकास के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहयोग करना।

❖ **नीति सुधार:**

- पुस्तकालय संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की वकालत करें और उन्हें लागू करें।
- ग्रामीण नियोजन, बुनियादी ढांचे छात्रों के विकास में पुस्तकालयध्यक्षों के विचारों को एकीकृत करें।



**संदर्भ ग्रंथ सूची:-**

1. चौहान, टी.सी. (2004) इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन इंडियन डेजर्ट, दिव्या पब्लिकेशन , जोधपुर।
2. पवार, एम.एस. (2012) एनवायरमेंट चेंज एण्ड सस्टेड डेवलपमेंट इन द न्यु मिलेनियम, वॉल्यूम-03, बुक इन एनवायरमेंटल इन नेट।
3. राव, बी.पी. (2015) भारत एक भौगोलिक समीक्षा, वसुंधरा प्रकाशन, गोरखपुर।
4. शर्मा, श्रीनाथ. जनजाति समाज का समाजशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
5. दुबे, माधवी लता. (2004) भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
6. [www.trifed.tribal.gov.in](http://www.trifed.tribal.gov.in)
7. [www.tribal.nic.in](http://www.tribal.nic.in)

